"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 जून 2017—ज्येष्ठ 26, शक 1939

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2017

क्र. 70/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016.— अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय तथा अपने कृत्यों के निर्वहन में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के अनुरूप पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए छ0ग0 राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) एतद द्वारा, विद्युत अधिनियम की धारा 181 (1) सहपठित छ0ग0 राज्य विद्युत नियामक आयोग (कोष का गठन एवं उसके उपयोग के तरीके), नियम, 2007 के नियम 8 तथा उसमे समय–समय पर होने वाले संशोधन एवं उसे इस हेतु सशक्त करने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग की गतिविधियों से जुड़े वित्तीय शक्तियों का, उन विभिन्न प्राधिकारियों, जो एतदर्थ उत्तरदायीं हो, द्वारा प्रयोग किए जाने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** — ये विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम, 2016 कहलाएंगे। ये राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. **परिभाषाएं** — इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों का निम्नांकित अर्थ होगा :—

   (क) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत शासन;

   (ख) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 और इसमें सम्मिलित है, इसका कोई विधिक संशोधन, रूपांतरण और पुनः अधिनियमन;

   (ग) **"आयोग"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

   (घ) **"अध्यक्ष"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष;

   (ङ.) **"सदस्य"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का सदस्य;

   (च) **"सचिव"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का सचिव अथवा आयोग का अन्य कोई अधिकारी जिसे सचिव की अनुपस्थिति में किसी सीमित अवधि के लिए अध्यक्ष द्वारा सचिव के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया जाए;

   (छ) **"उप सचिव"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का उप सचिव अथवा आयोग का अन्य कोई अधिकारी जिसे उप सचिव की अनुपस्थिति में किसी सीमित अवधि के लिए अध्यक्ष द्वारा उप सचिव के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया जाए;

   (ज) **"विभागाध्यक्ष"** से अभिप्रेत है, कोई अधिकारी जिसे अध्यक्ष द्वारा ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की जाए;

   (झ) **"वित्तीय वर्ष"** से अभिप्रेत है, प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल से और परवर्ती वर्ष की 31वीं मार्च;

   (ञ) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां जिनका उपयोग इन विनियमों में किया गया है और यहां परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अभिप्राय वही होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. आयोग से संबंधित समस्त वित्तीय व्यय इन विनियमों के संलग्नक–अ में उल्लिखित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसरण में किए जाएंगे।

4. आयोग के कामकाज की आवश्यकताओं के अनुसरण में, आयोग इन विनियमों में समुचित संशोधन करने हेतु सशक्त होगा। इन विनियमों के सुचारू कियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग का सचिव भी समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी करने हेतु अधिकृत होगा।

5. **"शिथिल करने की शक्ति"** यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो आयोग अपने सामान्य अथवा विशेष आदेश से, अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न रहते हुए ऐसी कोई भी कार्यवाही कर सकेगा जो ऐसी कठिनाईयों को दूर करने हेतु आवश्यक अथवा समीचीन समझी जाए।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन विनियम,

संलग्नक–अ

क्र.	व्यय की मद	धनराशि की सीमा, जहां तक व्यय किया जा सकेगा			
		अध्यक्ष/सदस्य की शक्तियां	सचिव/विभागाध्यक्ष की शक्तियां	उप सचिवें की शक्तियां	नियम, आदेश, सीमाएं जिसके लिए व्यय किया जाएगा
1	2	3	4	5	6
1	**आकस्मिक व्यय अथवा अनिर्दिष्ट मदें**				
क	आवर्ती	पूर्ण शक्तियां	प्रत्येक प्रकरण में रू. 30,000/–	प्रत्येक प्रकरण में रू. 15,000/–	
ख	अनावर्ती	पूर्ण शक्तियां	प्रत्येक प्रकरण में रू. 50,000/–	प्रत्येक प्रकरण में रू. 25,000/–	
	मद–1 (ख) : अनावर्ती में सम्मिलित है आयोग के सदस्यों अथवा आयोग के कर्मचारियों द्वारा कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/बैठकों में भाग लेने के लिए प्रभारों का भुगतान और आयोग द्वारा स्वयं अथवा अन्य संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/बैठके आयोजित करने का व्यय भी।				
2	**मोटर वाहन**				
क	वाहनों का क्रय	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	
ख	ईंधन क्रय सहित संधारण/संभारण और मरम्मत इत्यादि	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	प्रति वाहन, प्रतिमाह रू. 15,000/–	
ग	वाहनों का अपलेखन	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा समय–समय पर विहित मानदण्डों के अनुसार
3	**कार्यालय उपकरण और कम्प्यूटर**				
क	प्रिंटर, इन्टरकाम उपरकण, गणक, मोबाईल, प्रतिलिपि यंत्र, फाइलिंग प्रणालियां, मुद्रण सामाग्रि आदि सहित समस्त कार्यालय उपकरणों का क्रय	पूर्ण शक्तियां	रू. 1,50,000/– वार्षिक	रू. 50,000/– वार्षिक	

क्र.	व्यय की मद	धनराशि की सीमा, जहां तक व्यय किया जा सकेगा			
		अध्यक्ष/सदस्य की शक्तियां	सचिव/विभागाध्यक्ष की शक्तियां	उप सचिव की शक्तियां	नियम, आदेश, सीमाएं जिसके लिए व्यय किया जाएगा
1	2	3	4	5	6
ख	कम्पयूटरों का क्रय (पर्सनल कम्प्यूटर, लेपटॉप, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सहित)	पूर्ण शक्तियां	रू. 5,00,000/- वार्षिक	रू. 2,00,000/- वार्षिक	
ग	समस्त प्रकार के कम्प्यूटरों का संधारण, कार्टिजो की रीफीलिंग सहित	पूर्ण शक्तियां	रू. 5,00,000/- वार्षिक	रू. 25,000/- वार्षिक	
घ	वार्षिक संधारण संविदा	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	
4	**फर्नीचर और जुड़नार**				
क	नवीन कार्यालय फर्नीचर और जुड़नार खरीद सहित कार्यालय सज्जा जिसमें डिजर्ट कूलर, रूम कूलर, एअर कंडीशनर्स और वाटर फील्टर आदि का क्रय सम्मिलित हैं।	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	
ख	कार्यालय फर्नीचर और जुड़नार की मरम्मत	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	रू. 25,000/- वार्षिक	
ग	कार्यालय फर्नीचर, हीटर, डिजर्ट कूलर, रूम कूलर, एअर कंडीशनर्स आदि सहित किराए पर लेना	पूर्ण शक्तियां	रू. 50,000/- वार्षिक	रू. 20,000/- वार्षिक	
5	**लेखन सामाग्री का क्रय**				
क	दैनंदिन कार्यो हेतु कार्यालय में लेखन सामाग्री भण्डर क्रय	पूर्ण शक्तियां	रू. 1,50,000/- वार्षिक	रू. 50,000/- वार्षिक	
ख	लघु लेखन सामाग्री भण्डार हेतु स्थानीय क्रय	पूर्ण शक्तियां	रू. 2,50,000/- वार्षिक	रू. 75,000/- वार्षिक	
ग	रबर स्टाम्पों और कार्यालय मुद्राओं का स्थानीय क्रय	पूर्ण शक्तियां	रू. 2,,000/- वार्षिक	रू. 1,000/- वार्षिक	

क्र.	व्यय की मद	धनराशि की सीमा, जहां तक व्यय किया जा सकेगा			
		अध्यक्ष/सदस्य की शक्तियां	सचिव/विभागाध्यक्ष की शक्तियां	उप सचिव की शक्तियां	नियम, आदेश, सीमाएं जिसके लिए व्यय किया जाएगा
1	2	3	4	5	6
6	**मुद्रण/प्रकाशन/प्रचार**				
क	मुद्रण और जिल्दबंदी	पूर्ण शक्तियां	रू. 1,00,000/– वार्षिक	रू. 40,000/– वार्षिक	
ख	प्रकाशन	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	रू. 25,000/– वार्षिक	
ग	विज्ञापन/प्रचार प्रभारों का भुगतान	पूर्ण शक्तियां	संविदा दर के अनुसार पूर्ण शक्तियां	निरंक	सी.एस.पी.एच.सी.एल. द्वारा समय–समय पर विहित दरों के आधार पर दर संविदा पुनरीक्षित की जाएगी
घ	डाक, कूरियर और स्टाम्प खरीद के व्यय	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	अनुमोदित दरों के अनुसार पूर्ण शक्तियां	
7	**टेलीफोन और इन्टरनेट प्रभार**				
क	आवासीय टेलीफोन/इन्टरनेट कनेक्शन स्वीकृति, भारत सरकार के उप सचिव के समतुल्य वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों हेतु पृथक टेलीफोन लाईन सहित	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	आयोग के आदेश और इसके समय–समय पर संशोधनों के अनुसार
ख	आवासीय टेलीफोन इन्टरनेट कनेक्शन स्वीकृति, उप सचिव से नीचे के वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों के प्रकरण में पृथक टेलीफोन लाईन सहित	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	आयोग के आदेश और इसके समय–समय पर संशोधनों के अनुसार

क्र.	व्यय की मद	धनराशि की सीमा, जहां तक व्यय किया जा सकेगा			
		अध्यक्ष/सदस्य की शक्तियां	सचिव/विभागाध्यक्ष की शक्तियां	उप सचिव की शक्तियां	नियम, आदेश, सीमाएं जिसके लिए व्यय किया जाएगा
1	2	3	4	5	6
8	**गौण कार्य एवं मरम्मत**				
क	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भवन में गौण कार्य और विशेष मरम्मत, बागवानी, सेनेटरी फिटिंग, जल प्रदाय और ऐसे भवनों में विद्युत प्रतिष्ठापन तथा ऐसे प्रतिष्ठापनों की मरम्मत	पूर्ण शक्तियां	रू. 5,00,000/– वार्षिक	रू. 1,00,000/– वार्षिक	
ख	भवन का कोई अन्य संपरिवर्तन/ रूपांतरण, जिसमें मुख्य प्रकृतिकी बागवानी सम्मिलित है	पूर्ण शक्तियां	रू. 5,00,000/– वार्षिक	रू. 1,00,000/– वार्षिक	
ग	कोई अन्य अनुबंधित कार्य (जैसेः बागवानी कार्य, सुरक्षा कार्य, साफ–सफाई कार्य इत्यादि)	पूर्ण शक्तियां	रू. 5,00,000/– वार्षिक	रू. 1,00,000/– वार्षिक	
9	**विविध शुल्क/व्यय**				
क	विद्युत, गैस और जल प्रभार	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	
ख	नगरपालिक दरें और टैक्स	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	
ग	भाड़ा और डेमरेज/वारफेज प्रभार	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	निरंक	
घ	बैठकों के दौरान दोपहर भोज, रात्रि भोज और जलपान	पूर्ण शक्तियां	रू. 8,000/– प्रति अवसर	रू. 5,000/– प्रति अवसर	
10	**विधिक प्रभार**				
क	बैरिस्टरों, अभिभाषकों, अधिवक्ताओं, मध्यस्थों और अंपायरों को लगाया जाना	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग विनियम और इसके संशोधनों के अनुसार
ख	अन्य विधिक प्रभार	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	

क्र.	व्यय की मद	धनराशि की सीमा, जहां तक व्यय किया जा सकेगा			
		अध्यक्ष/सदस्य की शक्तियां	सचिव/विभागाध्यक्ष की शक्तियां	उप सचिव की शक्तियां	नियम, आदेश, सीमाएं जिसके लिए व्यय किया जाएगा
1	2	3	4	5	6
ग	अपने कार्यालयीन दायित्वों के निर्वहन में आयोग के कर्मचारी द्वारा संबंधित प्रकरणों में किए गए विधिक व्यय की प्रतिपूर्ति	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	
11	परामर्श प्रभारों का भुगतान	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विरचित सुसंगत विनियमों के अनुसरण में नियुक्त किया जाएगा
12	आकस्मिकता से आयोग के अधिकारियों/ कर्मचारियों का कल्याण/ पुरस्कार	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	
13	मानदेय	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	
14	**चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति**				
क	शासन के समस्त चिकित्सालय एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अनुमोदित चिकित्सालय।	छत्तीसगढ़ सरकार चिकित्सा विनियमों में यथा विहित पूर्ण शक्तियां और छत्तीसगढ़ चिकित्सा नियम के प्रावधानों में अन्य कोई छूट	छत्तीसगढ़ चिकित्सा नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियां	छत्तीसगढ़ चिकित्सा नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियां	
ख	विद्युत कंपनी अस्पताल और नाम निर्दिष्ट अस्पतालों से	पूर्ण शक्तियां	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी के डॉक्टरों द्वारा अनुमोदित राशि की सीमा के अधीन पूर्ण शक्तियां	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी के डॉक्टरों द्वारा अनुमोदित राशि की सीमा के अधीन पूर्ण शक्तियां	
15	परिवहन/वाहन का भाड़ा	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	

क्र.	व्यय की मद	धनराशि की सीमा, जहां तक व्यय किया जा सकेगा			
		अध्यक्ष/सदस्य की शक्तियां	सचिव/विभागाध्यक्ष की शक्तियां	उप सचिव की शक्तियां	नियम, आदेश, सीमाएं जिसके लिए व्यय किया जाएगा
1	2	3	4	5	6
16	कार्यालयीन बैठकों हेतु जलपान पर व्यय	पूर्ण शक्तियां	रू. 1,00,000/– वार्षिक	रू. 50,000/– वार्षिक	
17	अप्रचलित आधिक्य अथवा अनुपयोगी भण्डार और स्पेयर का व्ययन	पूर्ण शक्तियां	रू. 50,000/– वार्षिक	रू. 25,000/– वार्षिक	
18	धनराशि का पुनर्विनियोग	पूर्ण शक्तियां	निरंक	निरंक	
19	पुस्तकें, नियतकालीन पत्रिकाएं और समाचार पत्र	पूर्ण शक्तियां	रू. 15,000/– वार्षिक	रू. 10,000/– वार्षिक	
20	**यात्रा व्यय**				
क	घरेलू यात्रा व्यय	पूर्ण शक्तियां	छत्तीसगढ़ सरकार के यात्रा भत्ते नियम के अनुसार, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम के अध्यधीन	छत्तीसगढ़ सरकार के यात्रा भत्ते नियम के अनुसार, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम के अध्यधीन	
ख	विदेश यात्रा व्यय	पूर्ण शक्तियां	छत्तीसगढ़ सरकार के यात्रा भत्ते नियम के अनुसार, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम के अध्यधीन	निरंक	

टीप : समस्त प्रत्यायोजित व्यय आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखे, अंकेक्षण और आय–व्ययक) नियम, 2007 के प्रावधानों के अधीन बजट स्वीकृति के अध्यधीन हैं।